

न्यायालय उपजिला कलेक्टर, सांगोद जिला कोटा
बइजलास राजेश डागा (आर0ए0एस0)

वाद क्रमांक 25 / 2019

इन्द्रराज पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड़ निवासी ग्राम मकड़ावद तहसील सांगोद
जिला कोटा - वादी

बनाम

1. स्व0 पुष्पाबाई पुत्री रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी मकड़ावद विधवा पत्नि
शिवचरण जाति धाकड़ निवासी ग्राम कवंरपुरा तहसील खानपुर जयें कायम
मुकामान् :-

(ए)	गणेशराम पुत्र शिवचरण		जाति धाकड़, निवासीगण
(बी)	राधेश्याम पुत्र शिवचरण		ग्राम कवंरपुरा तह0 खानपुर
(सी)	स्व0 बाबूलाल पुत्र शिवचरण जाति धाकड़		

निवासी ग्राम कवंरपुरा तह0 खानपुर जयें कायम मुकामान् :-

(ए)	पुष्पराज पुत्र स्व0 बाबूलाल		जाति धाकड़, निवासीगण
(बी)	देवकीनन्दन पुत्र स्व0 बाबूलाल		ग्राम कवंरपुरा तह0 खानपुर
(सी)	सुशीला पुत्री स्व0 बाबूलाल धाकड़ निवासी कवंरपुरा पत्नी रघुवीर जाति धाकड़ निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद		
(डी)	प्रेमबाई विधवा पत्नी स्व0 बाबूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम कवंरपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़		
(ई)	कमलाबाई पुत्री शिवचरण जाति धाकड़ निवासी ग्राम कवंरपुरा पत्नी कवंरलाल धाकड़ नि0 ग्राम डोबड़ा तह0 खानपुर		
(एफ)	चमेलीबाई पुत्री शिवचरण जाति धाकड़ निवासी ग्राम कवंरपुरा पत्नी बाबूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मियाड़ा गाडरवाड़ा (नूरजी) तहसील खानपुर जिला झालावाड़		

2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद जिला कोटा



- प्रतिवादीगण

/2/

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0टी0एक्ट

उपरिथत : वकीलवादी - रामप्रसाद नागर, एडवोकेट
वकील प्रतिवादीगण - अशोककुमार जैन एडवोकेट
राजस्थान सरकार-तहसीलदार सांगोद


निर्णय

दि0 26.12.2022

वादी इन्द्रराज की ओर से उपरोक्त वाद-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम मकड़ावद तहसील सांगोद में उसके परदादाजी स्व0 रामप्रताप पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मकड़ावद द्वारा स्वअर्जित की हुई कुल 5 किता की 9.96 हे0 लगानी 0218 रूपया 68 पैसे कृषि भूमि स्थित रही है, जिसका वाद-पत्र के साथ सलग्न जमाबंदी सं0 2070 लगायत 2073 के मुताबिक विवरण निम्न प्रकार है :-

खसरा नम्बर 995 की 0.01 हे0, 996 की 7.90 हे0, 997 की 0.01 हे0,
998 की 1.93 हे0 तथा 999 की 0.11 हे0 कुल 5 किता की 9.96 हेक्टर

उक्त भूमि के तनहां खातेदार रामप्रताप जी के कोई पुत्र न होकर केवल दो पुत्रियां रामजानकी व पुष्पाबाई थी। इस कारण से उन्होंने दोनों पुत्रियों को विवाहित कर देने के बाद उसके स्वामित्व की कुल चल-अचल सम्पत्ति के संबंध में वादी इन्द्रराज के पक्ष में रूबरू गवाहान दिनांक 31.12.1984 को वसीयतनामा निष्पादित करके उक्त भूमि को जब तक वह जिन्दा रहेगा उसके कब्जे एवं स्वामित्व में रखना जाहिर कर उसकी मृत्यु के बाद वादी इन्द्रराज को मालिक होना घोषित कर दिया था तथा उक्त संबंध में अन्य वारिसान व दोनों लड़कियों द्वारा भी भविष्य में किसी प्रकार का दावा झगड़ा नहीं करने की घोषणा कर दी थी। रामप्रताप जी की मृत्यु के बाद उक्त संबंध में दोनों पुत्रियों द्वारा उक्त वसीयत नामें को सही होना स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा न लेने के आशय का दिनांक 17.01.1991 को तहसीलदार सांगोद में शपथ पत्र भी आलेखित करा दिया था, लेकिन रामप्रताप खातेदार की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत मंडाप द्वारा उक्त भूमि पर वादी इन्द्रराज


उपसंखण्ड जजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

के साथ रामजानकी व पुष्पाबाई दोनो पुत्रियों का भी नाम इन्तकाल नं0 360 दिनांक 10.02.1991 को दर्ज कर दिया जबकि उक्त कुल भूमि पर वादी ने काबिज काश्त रहकर दो ट्यूबवेल बोरिंग करवाकर कुल भूमि को सिंचित व काफी उपजाऊ बना रखा है।

उक्त आराजी के संबंध में रामजानकी पुत्री रामप्रताप की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्रान् देवकरण, रामचरण, रामस्वरूप व सम्पतराज द्वारा उक्त भूमि पर उनका नाम गलत दर्ज होना स्वीकार कर विधिवत् परित्याग पत्र देकर राजस्व रेकार्ड से उनका नाम पृथक् करवा लिया गया, किन्तु प्रतिवादी नं0-1 पुष्पाबाई की वृद्धावस्था हो जाने से उसके वारिसान द्वारा लालचवश पुष्पाबाई प्रतिवादिनी नं0-1 पर दबाव डालकर उक्त भूमि के 1/3 हिस्से से वादी के पक्ष में परित्याग पत्र प्रस्तुत कर उसका नाम खारिज करवाने से इन्कार कर देने पर वादी द्वारा प्रतिवादिनी नं0-1 पुष्पाबाई का नाम भी खारिज करवाकर कुल भूमि पर वादी इन्द्रराज को तनहां खातेदार घोषित कराने हेतु उक्त वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादिनी नं0-1 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाने के बाद दिनांक 26.12.2019 को प्रतिवादिनी की मृत्यु हो जाने पर दिनांक 10.02.2020 को वादी की ओर से उसके कायम मुकाम बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर स्व0 पुष्पाबाई के वारिसान को स्व0 प्रतिवादिनी नं0-1, पुष्पाबाई के स्थान पर प्रतिस्थापित कर उक्त सभी वारिसान की ओर से जयें वकील अशोक कुमार जैन द्वारा कोई आपत्ति जाहिर न करने पर वादी द्वारा उन्हें वाद-पत्र में पक्षकार बनाकर संशोधित शीर्षक सहित वाद-पत्र दिनांक 26.12.2022 को प्रस्तुत कराया गया।


उभयपक्ष की ओर से उपरोक्त संशोधित शीर्षक वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर वादी एवं स्व0 प्रतिवादिनी नं0-1 पुष्पाबाई के उक्त सभी वारिसान की ओर से उभय पक्षकारों के रिश्तेदारान द्वारा आपसी राजीनामा करवाया जाना जाहिर कर दिनांक 26.12.2022 को न्यायालय में निम्न आशय का राजीनामा प्रस्तुत किया गया है :-

“उपरोक्त शीर्षक के वाद-पत्र में वादी एवं स्व० प्रतिवादिनी नं०-1 पुष्पाबाई पुत्री रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी ग्राम मकड़ावद तहसील सांगोद विधवा पत्नी श्री शिवचरण जाति धाकड़ निवासी ग्राम कवंरपुरा के वारिसान कायम मुकामान् के बीच समाज के कुछ प्रतिष्ठित बन्धुओं तथा परिवार के निकटवर्ती रिश्तेदारों द्वारा समझाईश कराने के बाद आपसी राजीनामा हो गया है, जिसके मुताबिक स्व० पुष्पाबाई प्रतिवादिनी नं०-1 के समस्त वारिसान को वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 995 की 0.01 हे०, 996 की 7.90 हे०, 997 की 0.01हे०, 998 की 1.93 हे० तथा 999 की 0.11 हे० कुल 5 किता की 9.96 हेक्टर भूमि वाके ग्राम मकड़ावद तह० सागोद के संबंध में स्व० पुष्पाबाई के 1/3 हिस्से के संबंध में हम प्रतिवादीगण को स्व० श्री रामप्रताप पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मकड़ावद की स्वअर्जित की हुई उक्त कुल कृषि भूमि के बाबत दिनांक 31.12.1984 को वादी इन्द्रराज पुत्र जगदीशप्रसाद जाति धाकड़ निवासी ग्राम मकड़ावद के पक्ष में की हुई वसीयत के मुताबिक स्व० पुष्पाबाई पुत्री रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी ग्राम मकड़ावद तह० सांगोद का नाम खाते से खारिज करवाकर उक्त वर्णित कुल भूमि पर वादी इन्द्रराज का नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा हम प्रतिवादीगण की ओर स्व० पुष्पाबाई द्वारा उक्त पत्रावली पर प्रस्तुत किये हुए काउन्टर क्लेम को हम प्रतिवादीगण भी स्वेच्छापूर्वक खारिज कराने को सहमत है। प्रतिवादिनी नं०-1, स्व० पुष्पाबाई पुत्री रामप्रताप के वारिसान द्वारा दिनांक 15.12.2022 को उक्त राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत कर नियमानुसार तस्दीक करवाकर उक्त दावा निर्णीत कराये जाने हेतु कायम मुकाम श्री गणेशराम पुत्र श्री शिवचरण जाति धाकड़ निवासी ग्राम कवंरपुरा को मुख्तारआम नियुक्त किया हुआ है तथा उक्त मुख्तारनामा नोटेरी संजय गौतम एडवोकेट खानपुर द्वारा नियमानुसार प्रमाणित किया हुआ है, जो असल उक्त राजीनामा के साथ सलंग्न है।”

उपरोक्त राजीनामा स्वयं वादी इन्द्रराज तथा प्रतिवादी गणेशराम पुत्र शिवचरण द्वारा स्व० पुष्पाबाई के अन्य सभी वारिसान की ओर से उसे दिनांक 15.12.2022 को मुख्तारआम नियुक्त कर नोटेरी संजय गौतम, एडवोकेट से प्रमाणित कराया हुआ असल मुख्तारनामा आम प्रस्तुत करने पर उक्त राजीनामा को आज न्यायालय में उभयपक्षों के अभिभाषकगण की उपस्थिति में प्रमाणित एवं तस्दीक कराया जा चुका है।

अतः उपरोक्त राजीनामा मुताबिक दावा वादी स्वीकार कर तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज करते हुए ग्राम मकड़ावद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित उक्त कुल वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 995 की 0.01 हे०, 996 की 7.90 हे०, 997 की 0.01हे०, 998 की 1.93 हे० तथा 999 की 0.11 हे० कुल 5 किता की 9.96 हेक्टर भूमि के 1/3 हिस्से से स्व० पुष्पाबाई पुत्री रामप्रताप धाकड़ निवासी ग्राम मकड़ावद तह० सांगोद हिस्सा 1/3 का नाम हटाया जाकर उक्त कुल भूमि पर वादी इन्द्रराज पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड़ निवासी ग्राम मकड़ावद तहसील सांगोद को तनहां खातेदार घोषित किया जाता है, तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जाने हेतु मुताबिक उक्त निर्णय डिक्री बहक^{वादी}पारित की जावे। राजीनामा मुताबिक पृथक् से डिक्री बनाई जाकर शामिल पत्रावली की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला-सांगोद

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी परिशिष्ट डी-1)

न्यायालय बइजलास उपखण्ड अधिकारी एवं

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद जिला कोटा(राज0)

वाद क्रमांक 25 / 2019

इन्द्रराज पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड़ निवासी ग्राम मकड़ावद तहसील सांगोद
जिला कोटा - वादी

बनाम

1. स्व0 पुष्पाबाई पुत्री रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी मकड़ावद विधवा पत्नि
शिवचरण जाति धाकड़ निवासी ग्राम कवंरपुरा तहसील खानपुर जयें कायम
मुकामान् :-

(ए) गणेशराम पुत्र शिवचरण | जाति धाकड़, निवासीगण
(बी) राधेश्याम पुत्र शिवचरण | ग्राम कवंरपुरा तह0 खानपुर

(सी) स्व0 बाबूलाल पुत्र शिवचरण जाति धाकड़
निवासी ग्राम कवंरपुरा तह0 खानपुर जयें कायम मुकामान् :-

(ए) पुष्पराज पुत्र स्व0 बाबूलाल | जाति धाकड़, निवासीगण
(बी) देवकीनन्दन पुत्र स्व0 बाबूलाल | ग्राम कवंरपुरा तह0 खानपुर

(सी) सुशीला पुत्री स्व0 बाबूलाल धाकड़ निवासी कवंरपुरा
पत्नी रघुवीर जाति धाकड़ निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद

(डी) प्रेमबाई विधवा पत्नी स्व0 बाबूलाल जाति धाकड़ निवासी
ग्राम कवंरपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़

(ई) कमलाबाई पुत्री शिवचरण जाति धाकड़ निवासी ग्राम
कवंरपुरा पत्नी कवंरलाल धाकड़ नि0 ग्राम डोबड़ा तह0 खानपुर

(एफ) चमेलीबाई पुत्री शिवचरण जाति धाकड़ निवासी ग्राम कवंरपुरा
पत्नी बाबूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मियाड़ा गाडरवाड़ा
(नूरजी) तहसील खानपुर जिला झालावाड़

2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद जिला कोटा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 रा0टी0एक्ट

वाद क्रमांक 25 / 2019 तारीख निर्णय 26.12.2022

न्यायालय अज अदालत श्री राजेश डागा, उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

/2/



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी सांगोद बहाजरी श्री रामप्रसाद नागर, एडवोकेट मिन जानिब मुद्दई व प्रतिवादी नं०-1 स्व० पुष्पाबाई जयें कायम मुकाम गणेशराम मुख्तारआम अन्य वारिसान की ओर से श्री अशोक कुमार जैन, एडवोकेट व राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार सांगोद स्वयं मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि उपरोक्त वाद पत्र को राजीनामा मुताबिक दावा वादी स्वीकार कर तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज करते हुए ग्राम मकड़ावद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित कुल वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 995 की 0.01 हे०, 996 की 7.90 हे०, 997 की 0.01 हे०, 998 की 1.93 हे० तथा 999 की 0.11 हे० कुल 5 किता की 9.96 हेक्टर भूमि के 1/3 हिस्से से स्व० पुष्पाबाई पुत्री रामप्रताप धाकड़ निवासी ग्राम मकड़ावद तहसील सांगोद हिस्सा 1/3 का नाम हटाया जाकर उक्त कुल भूमि पर वादी इन्द्रराज पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड़ निवासी ग्राम मकड़ावद तहसील सांगोद को तनहां खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल किया जावे। पक्षकारान का राजीनामा तस्दीक कर उक्त वाद-पत्र डिक्री किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज × मुबलिग × बाबत × खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह × फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूल यानी तक × को अदा करें।

ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.12.2022 माह दिसम्बर को जारी की गई ।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

मुद्दई	रूपया पै०	मुदायलह	रूपया पै०
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक	NIL	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक	NIL
मीजान	खारिज		खारिज

नोट - इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जयें दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद